

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

I. योजना के प्रावधान :-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निबंधित लाभुकों के मुखिया सहित पाँच सदस्यों को सलाना 30,000/- रूपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाना है।
2. इस योजनान्तर्गत निबंधित लाभुकों को स्मार्ट कार्ड निर्गत किया जाता है।
3. योजना का लाभ चयनित बीमा कम्पनी के माध्यम से दिया जाएगा।
4. यह योजना कैशलेस है। सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर ईलाज कराने पर सलाना 30,000/- रूपये तक का ईलाज का खर्च बीमा कम्पनी द्वारा अस्पतालों को भुगतान किया जाता है।
5. लाभुकों को अस्पताल तक आने जाने के लिए प्रति बार 100/- रूपये एवं अधिकतम सलाना 1,000/- रूपये का भुगतान अस्पताल द्वारा किया जाएगा।

II. योजना की पात्रता :-

1. सभी निबंधित लाभुक इस योजना से आच्छादित होंगे।

III. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 10229 लाभुकों को स्मार्ट कार्ड निर्गत किया जा चुका है।